नम्बर अहकाम हुक्म को में जारी

अपील संख्या 02/2018

हुक्म या कार्यवाही, मय इमिजिक्शन जज

नानगराम वगैरा बनाम गंगाराम वगैरा

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए

दिनांक 25–7–2019

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 112/2017 अनवान गंगाराम बनाम खेताराम वगैरा मे पारित निर्णय दिनांक 9–5–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे अपील पेश की है । जिसमे अपीलांट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान रेस्पो0 गंगाराम ने अपने खातेदारी की भूमि मौजा नेहरो का तलां के खसरा नंबर 417/308 रकबा 7.00 बीघा भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसमे सभी पडौसी खातेदारान को पक्षकार नही बनाया जबकि अपीलांट खसरा नंबर 488/308 का खातेदार है जो कि अपीलाधीन खसरा नंबर 417/308 का सेढा पडोसी है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन किया । इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील एवं उसके सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी जिसमे अपीलांट के खातेदारी के खसरा नंबरो का अंकन है एवं नक्शा ट्रेस जिसमे अपीलांट एवं रेस्पो0 के खसरा नंबरान को दर्शाया हुआ है आदि का अवलोकन करने पर यह प्रकट है कि अपीलांट के खसरा नंबर 488/308 की सीमा रेस्पो0 के खसरा नंबर 417/308 की सीमा से लगती हुई है, फिर भी अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो समर्थन योग्य नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–5–2017 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के सांथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 417/308 के पडौसी समस्त खातेदारान व अपीलांट को भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उनकी उपस्थिति मे पुनः नये सिरे से नेखमबंदी बाबुत विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

पत्रावली फैसलशुमार होकर, नम्बर से हो कर, दाखिल दफ्तर हो

अति. संभागीय आयुक्त
जोधपुर